भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

डेयरी प्लांट, हबीबगंज भोपाल– 462024

फोन :– (0755) 2481995 फेक्स :– 0755 – 2450896

e-mail : sanchi.bhopal@gmail.com

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित द्वारा आमंत्रित आवेदन प्रपत्र के संदर्भ में शुद्धि पत्र (कॉरीजेन्डम)

1. दिनांक 29.01.2020 को दैनिक भास्कर, पत्रिका एवं राज एक्सप्रेस समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन अनुसार भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत भोपाल शहर में सांची पार्लर 8x6 साइज एवं ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत सीहोर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, गुना, शाजापुर के अंतर्गत शुजालपुर शहरो में सांची पार्लर 8x8 साइज के आवंटन हेतु भौतिक रूप से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। भोपाल शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रपत्र, आवेदन एवं संचालन की आवश्यक शर्तें एवं अनुबंध की शर्ते अपलोड की गई हैं। जिसमें आवेदन एवं संचालन की आवश्यक शर्तों के **बिन्दु क्र.02 "चयन प्रक्रिया"** में वर्णित शर्त को निम्नानुसार पढ़ा जाए :–
   - **पार्लर संचालन हेतु आवेदनकर्ता का चयन लॉटरी के माध्यम से होगा अर्थात यदि प्रत्येक स्थान पर पार्लर हेतु केवल एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो इस दशा में पात्र आवेदनकर्ता के समस्त दस्तावजों के परीक्षण उपरांत सफल पाये जाने पर पार्लर आवंटन कर दिया जावेगा। यदि एक स्थान पर एक से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होते है तो इस दशा में चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि चयनित आवेदक द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु जारी किये जाने वाले पत्र प्राप्ति के उपरांत निर्धारित समयावधि में पार्लर संचालन आरम्भ करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो पार्लर आवंटन प्रक्रिया में दो आवेदक जिसमें प्रथम आवेदक के साथ–साथ द्वितीय आवेदक को स्टेण्डबाय के रूप में चयन किया जाएगा, ताकि प्रथम आवेदक द्वारा पार्लर संचालन निर्धारित समयावधि में आरम्भ न करने अथवा असमर्थता व्यक्त करने पर द्वितीय आवेदक को पार्लर आवंटित कर अवसर प्रदान किया जा सके। तत्पश्चात् द्वितीय आवेदक द्वारा भी निर्धारित समयावधि में पार्लर संचालन आरम्भ नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे।**

2. आवेदन एवं संचालन की आवश्यक शर्तों में नवीन शर्त जोड़ी जाती है, जो कि निम्नानुसार है
   - **"आवेदक को पार्लर आवंटित होने पर नगर निगम द्वारा निर्धारित मासिक किराया राशि के अतिरिक्त अनुमति शुल्क रू.25000/– एकमुश्त नगर निगम कार्यालय में जमा करना होगा, जो कि वापसी योग्य नहीं होगा।"**

30/01/2021

मुख्य कार्यपालन अधिकारी